यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-1, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-1, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी के माह मार्च 2018 से जनवरी 2019 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री राघवेंद्र सिंह, श्री मनोज कुमार नेगी सहायक लेखा परीक्षा अधिकारियों एवं श्री अरूण कुमार शर्मा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (तदर्थ) द्वारा दिनांक 30/01/2019 से 08/02/2019 तक श्री लोकेश दताल, सहायक महालेखाकार के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखा श्री आर.एन.यादव, श्री राजेश डोभाल, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारियों एवं श्री नन्दन सिंह भण्डारी, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 08/03/2018 से 19/03/2018 तक श्री नीरज चुंगू, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया एवं उक्त लेखा परीक्षा में माह जुलाई 2016 से फरवरी 2018 तक के लेखा अभिलेखों की सामान्यतः जांच की गई थी।

1. इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग-1, हल्द्वानी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत संपादित होने वाले विभिन्न निर्माण कार्यो (राज्य योजना/जिला योजना/निक्षेप मद में स्वीकृत मार्ग एवं सेतु और भवन का निर्माण तथा सुधार) के लिए उत्तरदायी हैं। कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग-1, हल्द्वानी के भौगोलिक अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत विधान सभा क्षेत्र हल्द्वानी, लालकुआ एवं कालाढूंगी हैं।

2. बजट

(अ) लेखा परीक्षा अवधि में योजनावार बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(₹ लाख में)

वर्ष	मुख्य लेखा शीर्ष	गत अवशेष	आवंटन	योग	व्यय	अवशेष
2015-16	2059, 2216, 2245, 3054, 4059, 5054	0	6030.71	6030.71	6030.71	--
2016-17		0	5296.24	5296.24	5296.23	
2017-18		0	5447.74	5447.74	5447.74	
2018-19 (01/2019 तक)		0	3385	3385	3009.16	

3. इकाई को बजट आवंटन एव राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। स्थापना व्यय को सम्मिलित करते हुए इकाई "**A**" श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

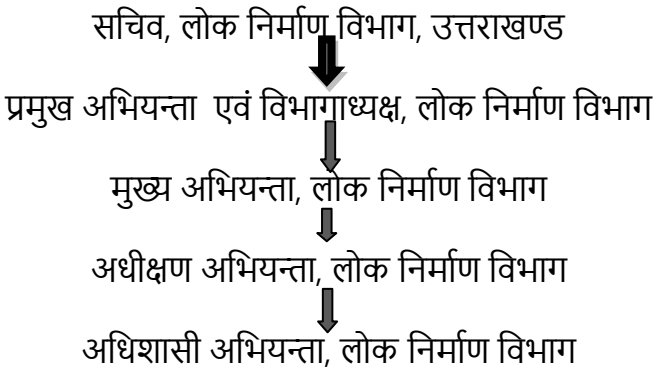

4. **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-1, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-1, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। लेखा परीक्षा द्वारा व्यय विवरण एवं प्राप्ति के आधार पर सर्वाधिक व्यय एवं प्राप्ति वाले माह क्रमशः **अप्रैल 2018** एवं **जनवरी 2019** को विस्तृत जांच एवं विश्लेषण हेतु चयन किया गया। इसी प्रकार सर्वाधिक व्यय वाले कार्य " माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 323/2013 के अंतर्गत जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र लालकुआ में बरेली रोड के आंतरिक मार्ग का निर्माण (पी0 सी0 द्वारा)" को विस्तृत जांच एवं विश्लेषण हेतु चयन किया गया।

5. लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा-13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियमन-2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

1. अधीक्षण अभियंता द्वारा विगत लेखापरीक्षा से अब तक की अवधि में दिनांक 15/12/2018 से 22/12/2018 तक खंड का निरीक्षण किया गया।
2. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी क्रमशः 09/2018 तक की गई।
3. फार्म 51: माह जनवरी 2019 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत हैः-

   भाग प्रथम - ₹ 993669.49
   भाग द्वितीय - ₹ 356110.91
4. खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह 11/2018 के अन्त में

   (क) प्रकीर्ण निर्माण अग्रिम - ₹ 6061621.65
   (ख) सामग्री क्रय – Nil
   (ग) नगद परिशोधन - Nil
   (घ) निक्षेप- ₹ 94636328.56

(ङ) भण्डार- ₹ (-) 18977446.00

भाग -2 ब

प्रस्तर 1: दोषपूर्ण आगणन गठन के कारण कार्य निष्पादन में `132.75 लाख का व्ययाधिक।

जनपद नैनीताल में राज्य योजन के अंतर्गत विधान सभा क्षेत्र, लालकुआ में बरेली रोड के आंतरिक मार्ग का निर्माण (पीसी) द्वारा कुल लंबाई 25.00 किमी में कार्य हेतु ` 655.64 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा व्यय की स्वीकृति दिनांक 08 फरवरी 2014 को प्रदान की गयी थी। निर्माण कार्य की तकनीकी स्वीकृति प्रा मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी द्वारा दिनांक सितम्बर 2014 को प्रदान की गयी। जिसके अनुसार कार्य आरंभ की तिथि 1.11.2014 व कार्य समाप्ति की तिथि 30.07.2015 निर्धारित की गयी थी परंतु कार्य 17 माह की देरी से जनवरी 2017 में पूर्ण किया गया।

खंड द्वारा तैयार किए गए विस्तृत आगणन के अनुसार कार्य निर्माण में डबल्यूबीएम का कार्य, जी एस बी का कार्य, पीसी/सील कोट का कार्य एवं आरबीएम का कार्य किया जाना था।

अधिशासी अभियंता निर्माण खंड लो॰ नि॰ वि॰ हल्द्वानी के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया (जनवरी 2019) कि कुल संख्या 121 कार्य निर्माण के अंतर्गत कुल लंबाई 25.00 किमी में विस्तृत आगणन के अनुसार कार्य निष्पादित कराये जाने थे। कार्य निर्माण के शैड्यूल-बी व कार्य के अंतिम देयक के अनुसार निष्पादित किए गए कुल 15 मे से 13 कार्य मदों की मात्राओं में आगणित/अनुबंधित मात्रा से अधिक (6.38%-6674.75%तक) निष्पादित करायी गयी जिससे उक्त निर्माण कार्य में `132.75 लाख का व्ययाधिक किया गया। जिसका विवरण निम्नवत है:

sl no	Items Names	Quantity as per schedule-B	Executed quantity as per final/bill	Difference in quantity	Rate as per schedule-b	Amount in Rs.
1	Earth work in excavation….	18.00cum	398.71	380.71	180.30	68642.01
2	Provide concreteror plain/reinforced concrete…1:3:6	9.00 cum	262.62	253.62	3749.30	950897.47
3	Brick masonary work in cement mortar..1:4 cement mortar	12.00 cum	812.97	800.97	4903.80	3927796.69
4	Plastering with cement (1© 15 mm thick	24.00 sqm	459.30	435.30	100.30	43660.59
5	Wet mix macadam…	16875.00 cum	17951.27	1076.27	1463.90	1607839.75
6	20 mm thick open-grade premix carpet	75000.00 sqm	84234.41	9234.41	128.70	1188468.57
7	p/l seal coat	75000.00sqm	84234.41	9234.41	46.40	428476.62
8	Providing concrete for plain/reinforced nominal (1:2:4)	1.26 cum	1.59	0.33	4285.50	1414.21
9	Providing concrete for plain/reinforced …gradeM20	6.00cum	272.66	266.66	4525.60	1206796.50
10	Supplingn/fitting/placing TMT bar	6 qtal	293.27	287.27	6066.49	1742720.58
11	Construction of embackment…	11285.00 cum	16548.60	5263.60	270.70	1424856.52
12	Granular sub-base/base/surface course	12033.00 cum	12956.20	923.20	437.20	403623.04
13	p/ applying prime coat	75000.00 sqm	84234.41	9234.41	30.30	279802.62
14	Extra item tack coat		84234.41 sqm			
				Total (excess)		**13274995.17**

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर अधिशासी अभियंता ने उत्तर दिया कि उक्त 25 km लंबाई में 121 छोटे-2 मार्ग सम्मलित थे मार्ग निर्माण के समय क्रास ड्रेनेज हेतु 01 मी॰ विस्तार की पुलिया बनाने की आवश्यकता होने के कारण पुलिया की मदों में ही वृद्धि हुयी है, जो मार्ग की सुरक्षा हेतु आवश्यक है, आगणन गठित करते समय इन्हे छोटे-2 भागों हेतु क्रास ड्रेनेज का प्रविधान करने से छूट गया था अन्य मदों में न्यूनतम भिन्नता हुई है,।

खंड का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि कार्य स्थल की आवश्यकता के अनुसार कार्य मद व उसकी मात्राओं का आकलन कर विस्तृत आगणन तैयार किया जाना चाहिए। कुल 15 कार्य मदों में से 13 कार्य मदों की मात्राओं में अप्रत्याशित वृद्धि करते हुये कार्य निष्पादन कराया गया जो दर्शाता है कि आगणन तैयार करने मे कमियाँ थी।

इस प्रकार खंड द्वारा दोषपूर्ण आगणन गठन करने के कारण कार्य निष्पादन में ` 132.75 लाख का व्ययाधिक किया गया।

भाग- 2 ब

प्रस्तर 2 : त्रुटिपूर्ण मार्ग निर्माण कार्य मे ` 56.75 लाख का निरर्थक व्यय।

जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र नैनीताल में कालादूंगी वन निगम गेट से अनुसूचित जाति बाहुल्य गुलजारपुर बंकी 20 मीटर स्पान आर सी सी पुल एवं संपर्क मार्ग का निर्माण एवं डामरीकरण कार्य हेतु ` 232.98 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा व्यय की स्वीकृति नवम्बर, 2011 में प्रदान की गयी थी।

केवल संपर्क मार्ग किमी 3.50 हेतु ` 129.40 लाख की आंशिक तकनीकी स्वीकृति अधीक्षण अभियंता चतुर्थ वृत, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी (नैनीताल) द्वारा दिसम्बर, 2011 में प्रदान की गई तथा किमी 01 में 20 मीटर स्पान आर सी सी पुल व किमी 01 व 03 में काजवे निर्माण कार्य को शामिल करते हुये कुल कार्य ` 232.80 लाख की तकनीकी स्वीकृति अधीक्षण अभियंता चतुर्थ वृत, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी (नैनीताल) द्वारा जनवरी, 2013 में प्रदान की गई।

स्वीकृत आगणन के अनुसार संपर्क मार्ग लंबाई 3.50 किमी मे तटबंध कार्य, इंटर कोट व टाप कोट की गिट्टी की कुटाई, प्रीमिक्स कार्पेट तथा बेस कंक्रीट का कार्य होना था। साथ ही क्रास ड्रेनज हेतु चार आर सी सी कलवर्ट (एक नग प्रति किमी) का निर्माण किया जाना था। इसके अतिरिक्त मार्ग के प्रथम किमी में एक काजवे एवं 20 मीटर स्पान आर सी सी सेतु एवं किमी 3.00 में एक काजवे का निर्माण किया जाना था।

उक्त कार्यों के निष्पादन हेतु कुल छः अनुबंधों, प्रीमिक्स कारपेट कार्य हेतु चार अनुबंध (एक अनुबंध प्रति किमी) दिसम्बर 2011 में गठित किए गए जिसके अनुसार कार्य चार माह की देरी से अक्तूबर 2012 में पूर्ण किया गया। जबकि अवशेष दो अनुबंध मई 2013 से मई 2016 के मध्य गठित किए गये परंतु पाँच वर्ष से अधिक की अवधि बीत जाने के पश्चात भी कार्य पूरा नहीं किया जा सका था (जनवरी 2019)।

अधिशासी अभियंता, निर्माण खंड, लो नि वि हल्द्वानी (नैनीताल) के अभिलेखों की नमूना जांच (जनवरी 2019) में पाया गया कि

(i) ठेकेदारों द्वारा कार्य के 01 किमी में क्रास ड्रेनेज (कलवर्ट) के कुल आठ कार्य मदों मे से मात्र तीन पर प्रावधानित मात्रा में कार्य किया गया जबकि शेष पाँच कार्य मदों हेतु निर्धारित मात्रा से 8% से 29% तक कार्य किया गया; किमी 02 मे कुल आठ कार्य मदों मे से तीन पर ही कार्य किया गया तथा शेष पाँच कार्य मदों पर कार्य नहीं कराया गया; किमी 03 मे कुल आठ कार्य मदों की निर्धारित मात्राओं पर 28% से 62% तक ही कार्य निष्पादित था। इस प्रकार मार्ग की सुरक्षा एवं स्थायित्व हेतु अति महत्वपूर्ण कार्य क्रास ड्रेनेज जैसे कार्य या तो कराये ही नहीं गये या बहुत ही न्यून मात्राओं मे कराये गये।

(ii) ठेकेदारों द्वारा संपर्क मोटर मार्ग लंबाई 3.50 किमी मे बिना टैक कोट के प्रीमिक्स कारपेट का लेपन कर गिट्टियों की पकड़ को लूज छोड़ कर (loose) विशिष्टियों के विपरीत कार्य निष्पादित किया गया जिसके कारण सड़क मे बिछाई गई गिट्टियों के वर्षा, बरसाती नाला से कटाव, घोड़ा, गाड़ी, ख़च्चर, एवं यातायात के अन्य साधनों से उखड़ना अवश्यम्भावी था। उल्लेखनीय है कि पुल/कजवे का कार्य भी (अवधि 2012 से 2014 तक) नहीं कराया गया था।

(iii) अधीक्षण अभियंता की तकनीकी टिप्पणी थी कि आगणन में जो राशि जिन मदों हेतु स्वीकृत है उन्ही मदों में व्यय किया जाय, बावजूद खंड द्वारा ठेकेदार को 63.71 लाख लागत की अतिरिक्त मदों पर कार्य कराये जाने की अनुमति दी गयी, जिसके कारण मार्ग के एक किमी पर 20 मीटर स्पान आर सी सी पुल / काजवे का निर्माण कार्य ठेकेदार द्वारा बीच मे ही छोड़ दिया गया। अवशेष कार्य (पुल) चयन अनुबंध के द्वारा कराना पड़ा जो लेखा परीक्षा तक (जनवरी 2019) तक पूरा नहीं किया जा सका था।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर अधिशासी अभियंता का यह उत्तर था कि पी सी कार्य के अंतर्गत ही टैक कोट भी सम्मलित है, पूर्व मे नाले कि चौड़ाई के अनुरूप पुल का निर्माण प्रस्तावित था वर्ष 2016 में अतिवृष्ट के कारण नालों का पाट क्षतिग्रस्त होकर अत्यंत चौड़ा हो गया जिस कारण विंग वाल आदि का निर्माण कराया जाना आवश्यक हो गया। उपरोक्त मदों हेतु ही अतिरिक्त मद सक्षम अधिकारी से स्वीकृत कराकर कार्य संपादित कराया गया।
खंड का उत्तर संतोषजनक नहीं था क्योंकि ` 232.98 लाख लागत के कार्य को किसी सक्षम एवं अनुभवी ठेकेदार को दिया जाना चाहिए था। जिन ठेकेदारों को कार्य सौपा गया वे सक्षम नहीं थे तथा कार्य को अधूरा छोड़ दिया जिसके कारण कार्य लेखा परीक्षा तक ` 192.78 लाख व्यय कर पूरा नहीं था।

ठेकेदारों ने मार्ग सुरक्षा हेतु आवश्यक क्रास ड्रेनज़ का कार्य आधा-अधूरा या पूरा ही नहीं किया। वाटर बाऊण्ड मैकडैम की सतह बिना टैक कोट के सरफेसिंग कर अधोमानक कार्य कार्य गया जबकि खंड के एक अन्य कार्य टैक कोट के साथ सरफेसिंग की गई थी।

इस प्रकार खंड द्वारा त्रुटिपूर्ण कार्यविधि अपनाते हेए ठेका प्रदान कर एवं सड़क सुरक्षा हेतु अति आवश्यक क्रास ड्रेनेज़ कार्य न कराकर अधोमानक सड़क निर्माण कार्य कार्य जिसके कारण जंगली नाला के पानी के कटाव से सुरक्षा हेतु अतिरिक्त मद से कार्य कराना पड़ा। उल्लेखनीय है की लेखा परीक्षा तक (जनवरी 2019) पहुँच मार्ग में विधुत ट्रांसफार्मर एवं पोल शिफ्ट का कार्य किया जाना था।

भाग-2 ब

प्रस्तर 3 : कार्य निष्पादन में ठेकेदार को ` 56.13 लाख का अनुचित लाभ।

जनपद नैनीताल में विधान सभा क्षेत्र हल्द्वानी के अंतर्गत वनभूलपुरा, इंद्रानगर, राजपुरा, उत्तर उजाला, हीरानगर एवं मुखानी में मार्गो का निर्माण कार्य (13 कार्य) के कुल लंबाई किमी 10.943 में प्रीमिक्स कारपेट, सीमेंट कंक्रीट से मार्गों का निर्माण,लंबाई किमी 0.819 भाग में नाले को कवर कर मार्ग का निर्माण तथा आवशयकतानुसार क्रांस ड्रेनेज का कार्य हेतु ` 620.77 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति जुलाई, 2013 में प्रदान की गई थी। जिसके विरूद्ध लंबाई 9.980 किमी में ` 620.77 लाख की तकनीकी स्वीकृति प्र॰ मुख्य अभियंता (कु॰ क्षे॰) लो॰ नि॰ वि॰ अल्मोड़ा द्वारा दिसम्बर 2013 में प्रदान की गयी थी।

अधिशासी अभियंता, निर्माण खंड लो॰ नि॰ वि॰ हल्द्वानी (नैनीताल) के अभिलेखों के निरीक्षण में (जनवरी-2019) में पाया गया की खंड द्वारा कार्य के लिए प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य प्राप्त न करते हुये कार्य हेतु मात्र एक निविदा प्राप्त होने पर पुनः निविदा का आमंत्रण न करते हुये अनुबंध का गठन किया गया साथ ही कार्य की तकनीकी स्वीकृति से पूर्व ही निविदा आमंत्रित करते हुये कार्य निष्पादन के कुल 13 कार्य मदों में से 10 कार्य मदों पर विभागीय दरों से उच्च दर पर अनुबंध गठित करते हुये कार्य कराया गया। जिससे कार्य अनुबंध के सापेक्ष ` 41.30 लाख का अनुचित लाभ ठेकेदार को पहुंचाया गया। (विवरण संलग्न)

S. N.	Items Name	Rate as per SoR	Rate as per sch-B/final bill	Rate diff.	Executed quantity as per f/bill	Excess amount in Rs.
1	Brick mason ray work in cement mortar in foundation..1:4 cement mortar	4903	5000	96.2	1661.09cum	159796.86
2	Providing concrete for plain/reinforced concrete in open foundation(1:3:6)	3749.30	4250.00	500.70	552.68 cum	276726.87
3	P/L reinforced cement concrete in open foundation…(1:2:4)	4285.50	4800.00	514.50	141.48 cum	72791.46
4	Plastering with cement mortar (1:4) 15 mm thick on brick work….	100.30	110.00	9.7	4266.07sqm	41380.87
5	Grading of no. 2 (45-63mmsize)	1177.70	1600.00	422.30	693.52 cum	292873.49
6	Grading 3 (22.4-53 mm size)	1240.10	1700.00	459.90	1298.00 cum	596950.20
7	Construction of un-reinforce ccp	5001.50	5780.00	778.50	3010.00 cum	2343285.00
8	Providing concrete for plain/reinforced concrete in open foundation….Rcc M-20 for (1:2:4)	5221.90	5600.00	378.10	435.24 cum	164564.24
9	S/F and placing TMT bar reinforcement in foundation	6066.49	6400.00	333.51	407.42 Qtl	135878.64
10	p/spreading RBM…	996.30	1100.00	103.70	439.00 cum	45524.30
					Total Say 41.30 lakh	4129771.93

साथ ही आंतरिक मार्गो पर विस्तृत आगणन मे शामिल प्रीमिक्स कारपेट/ सील कोट के स्थान पर बी एम/ एस डी बी सी से कार्य कराये जाने के कारण ` 14.83 लाख के अतिरिक्त व्यय किया गया।

कार्य के अंतिम देयक के अनुसार टैक कोट एवं बी एम/एस डी बी सी पर किया गया कुल व्यय ` 34.98 लाख।

टैक कोट: 6114.37 @ रु 19.50 = रु 119230.31

प्रीमिक्स कारपेट: 6114.37 @ रु 250 = रु 1528592.50

सील कोट: 6114.37@60 = रु 366862.00

= रु 2014685.01 या रु 20.15 लाख।

इस प्रकार कार्य निष्पादन में अनुचित व्यय ` 56.13 लाख कर ठेकेदार को लाभ पहुंचाया गया।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर खंड ने उत्तर दिया कि औचित्यपूर्ण दर विश्लेषण का अनुमोदन के उपरांत संशोधित शिड्यूल -बी में अंकित करते हुये अनुबंध में ली गयी है। बी एम/एस डी बी सी से निर्मित कार्य को बाई पास के रूप में भी प्रयुक्त होने के कारण महत्वपूर्ण मार्ग एवं पूर्व में बी एम/एस डी बी सी से निर्मित थी, इसी कारण कराये गये, जिसमे उच्च कोटी के मार्ग एवं riding क्वालिटी में सुधार भी हुआ है।

खंड का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि न तो इस कार्य में पुन: निविदा आमंत्रित थी न ही कार्य मदों की उच्च दरों को कम करने के लिए ठेकेदार से एक से अधिक बार प्रयास किया गया इसलिए एक अनुबंध विशेष या ठेकेदार विशेष हेतु विभागीय दरों से उच्च दर पर कार्य कराने का कोई औचित्य नहीं था।
आंतरिक मार्गो में सुधारीकरण/पुनर्निर्माण कार्य बी एम/एस डी बी सी से कराना विशिष्टियों के प्रतिकूल था। आंतरिक मार्गों पर riding quality में सुधार किए जाने का कोई औचित्य नहीं थे क्योंकि आंतरिक मार्ग बाई पास का रूप नहीं ले सकता है साथ ही खंड के अंतर्गत निष्पादित कराये जा रहे अन्य आंतरिक मार्गो पर भी प्रीमिक्स कारपेट से ही कार्य कराया जा रहा था।

अत: कार्य निष्पादन में ठेकेदार को ` 56.13 लाख का अनुचित लाभ पहुंचाया गया।

भाग दो 'ब'

प्रस्तर- 4 : गलत वेतन निर्धारण के कारण रु 49272.00 का अधिक भुगतान किया जाना।

श्री चन्द्रशेखर तिवारी की सेवा पुस्तिका जांच में पाया गया शासनादेश स. 399/III(7)12-16/अधि./2008 दिनांक 23.08/2012 द्वारा लोक निर्माण विभाग नियुक्त मानचित्रकारों को दिनांक 01.04.2001 से वेतनमान 9300-34800 ग्रेड वेतन 4200 अनुमन्य किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। अतः श्री चन्द्रशेखर तिवारी, मानचित्रकार से उक्त स्वीकृत वेतनमान में वेतन का निर्धारण निम्न प्रकार किया गया।

मानचित्रकार के पद पर नियुक्ति की तिथि 05/05/2008 को स्वीकृति वेतन बैण्ड 9300-34800 में वेतन =9300/-

ग्रेड वेतन =4200/-

मूल वेतन (बैण्ड में वेतन + ग्रेड वेतन) = 9300+4200 = 13500

दिनांक 01/01/2009 को वार्षिक वेतन वृद्धि के उपरान्त मूल वेतन (9710+4200) = 13910

दिनांक 01/01/2010 को वार्षिक वेतन वृद्धि के उपरान्त मूल वेतन (10130+4200) =14330

दिनांक 01/01/2011 को वार्षिक वेतन वृद्धि के उपरान्त मूल वेतन (10560+4200) = 14760

दिनांक 01/01/2012 को वार्षिक वेतन वृद्धि के उपरान्त मूल वेतन (11010+4200)= 15210

दिनांक 01/01/2013 को वार्षिक वेतन वृद्धि के उपरान्त मूल वेतन (11470+4200)= 15670

दिनांक 01/01/2014 को वार्षिक वेतन वृद्धि के उपरान्त मूल वेतन (11950+4200)= 16150

दिनांक 01/01/2015 को वार्षिक वेतन वृद्धि के उपरान्त मूल वेतन (12440+4200)= 16640

दिनांक 01/01/2016 को वार्षिक वेतन वृद्धि के उपरान्त मूल वेतन (12940+4200)= 17140

श्री चन्द्रशेखर तिवारी को सातवे वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर शासनादेश सं. 290/XXVII(7)50(16)/2016 देहरादून, दिनाकं 28 दिसम्बर 2016 एवं शासनादेश सं. 299/XXVII (7)50(16)/2016 , देहरादून, दिनाकं 30 दिसम्बर 2016 के अनुसार वेतन का निर्धारण दिनांक 31/12/2015 को विद्यमान मूल वेतन (12440+4200) = 17140 को 2.57 के फिटमेंट गुणांक से गुणा करने के पश्चात वेतन का निर्धारण करना था। वेतन का निर्धारण 31/12/2015 को विद्यमान मूल वेतन से न करके दिनाकं 01/01/2016 को वार्षिक वेतन वृद्धि के साथ देय मूल

वेतन 17140 के आधार पर किया गया जो कि त्रुटिपूर्ण है। सेवापुस्तिका की जांच में पाया गया कि वार्षिक वेतन वृद्धि का विकल्प 01 जनवरी 2016 दिया गया है। कोषागार से प्राप्त Annual Salary Statement की जांच में पाया गया कि श्री चन्द्रशेखर तिवारी का वार्षिक वेतन वृद्धि जनवरी में न करके जुलाई में किया जा रहा है जिससे अधिक वेतन भुगतान की गणना होती है।

खण्ड द्वारा उत्तर में बताया गया कि आपत्तियो का निराकरण कर आगामी लेखा परीक्षा दल को दिखा दिया जाएगा। अतः रु. 49272.00 का अधिक भुगतान का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

क्रम संख्या	लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन सं0/वर्ष	अनिस्तारित प्रस्तर	
		भाग-दो 'अ'	भाग-दो 'ब'
1.	67/1990-91	--	3
2.	44/1995-96	--	1
3.	27/1997-98	--	1,2
4.	41/1997-98	1	--
5.	51/1998-99	--	1,2,3,4
6.	51/1999-2000	1	1
7.	69/1999-2000	2	--
8.	60/2000-01	1	--
9.	11/2001-02	2	--
10.	88/2005-06	1	--
11.	44/2007-08	1	1
12.	66/2008-09	1,2	1
13.	82/2010-11	1	3
14.	40/2012-13	1,2,3	--
15.	33/2013-14	--	3,4
16.	32/2015-16	--	1,2,3,4
17.	31/2016-17	1	1
18.	98/2017-18	1	1,2

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
खंड द्वारा अनिस्तारित प्रस्तरों की अद्यतन आख्या उच्चाधिकारियों की संस्तुति सहित दिनांक 24/01/2019 को कार्यालय प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष, देहारादून में विभागीय लेखापरीक्षा समिति को प्रस्तुत की गयी है।				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

.....शून्य.....

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-1, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित **अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**

(i) **शून्य**

2. सतत् अनियमितताएः

(i) शून्य

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया।

क्रम सं0	**नाम**	**पदनाम**
I.	ई. रणजीत सिंह	अधिशासी अभियंता (विगत लेखापरीक्षा से दिनांक 08/01/2019 तक)
II.	ई. हिम्मत सिंह रावत	अधिशासी अभियंता (दिनांक 08/01/2019 से अब तक)

4. विगत संप्रेक्षा से अब तक निम्नलिखित खण्डीय लेखाधिकारी खण्ड से संबंद्ध रहे।

I. श्री गणेश सिंह , वरि0 खण्डीय लेखाधिकारी (विगत लेखापरीक्षा से दिनांक 04/08/2018 तक)

II. श्री रमेश सिंह बरफाल (दिनांक 04/08/2018 से अब तक)

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-1, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी को इस आशय से प्रेषित है कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार, आर्थिक क्षेत्र-2 कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून-2481095 को प्रेषित किया जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
आर्थिक क्षेत्र-2